रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128

REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 24, 1988/ आश्विन 2, 1910

No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 24, 1988/ASVINA 2, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम, जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

योजना आयोग

नई दिल्ली, 19 मई, 1988

सा.का.नि. 740 :—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग (वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और अनुसंधान अधिकारी) भर्ती नियम, 1970 को जहां तक उनका संबंध अनुसंधान अधिकारी के पद से है उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है योजना आयोग में अनुसंधान अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और आरम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम योजना आयोग (अनुसंधान अधिकारी) भर्ती नियम, 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

(3) Urban Land Tribunal No. 3 and ex-officio Secretary to the Government of Gujarat, Revenue Department, Ahmedabad.

(4) Urban Land Tribunal No. 4 and ex-officio Secretary to the Government of Gujarat, Revenue Department, Ahmedabad."

[F. No. 4/7/87-UCU]

C. S. RAO, Dy. Secy.

Foot Note :—The Appellate Authority for Guajrat was prescribed vide the Urban Land (Ceiling and Regulation) Eighth Amendment Rules, 1976 notified as GSR 33 dated the 23rd December, 1976 and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) dated 1-1-1977 and the Urban Land (Ceiling and Regulation) Second Amendment Rules, 1977 notified as GSR 428 dated the 14th March, 1977 and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) No. 13 dated the 26th March, 1977 and corrected by corrigendum vide GSR No. 507 dated 30-3-1977 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 9-4-1977 further amended vide GSR No. 321 dated 12-3-1985 published in the Gazette of India Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 30-3-1985.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1988

सा.का.नि. 758.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आकाशवाणी महानिदेशालय में प्रधान सुरक्षा गार्ड (चालक) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी महानिदेशालय, प्रधान सुरक्षा गार्ड (चालक) भर्ती नियम, 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पद/पदों की संख्या उसका/उनका वर्गीकरण और उसका/उनके वेतनमान वह होगा/होंगे जो इससे इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि:—उक्त पद/पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे/उनसे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता:—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
प्रधान सुरक्षा गार्ड (चालक)	1*(1988) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय	950-20-1150-द.रो.-25-1400 रुपये	लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	(1) प्रोन्नति ऐसे सुरक्षा गार्डों में से जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हैं:-- (1) विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो। (2) मोटर यंत्रक्रिया का ज्ञान हो (3) किसी मोटरकार के चलाने का अनुभव हो। (2) प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण केन्द्रीय या राज्य पुलिस संगठन के ऐसे चालकों में से जिनके पास उपरोक्त (1) के अधीन विहित अर्हताएं हैं। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति) चयन के लिए 1. उप महानिदेशक (सुरक्षा)--अध्यक्ष 2. उप निदेशक प्रशासन (मुख्यालय) महानिदेशक, आकाशवाणी--सदस्य 3. किसी अन्य सरकारी विभाग से इस क्षेत्र का विशेषज्ञ (समुचित प्रास्थिति का) --सदस्य	लागू नहीं होता

[संख्या ए. 12018/2/86-एस-II/बी. (ए)]

कश्मीरी लाल, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 30th August, 1988

G.S.R. 758.—In exercise of the powers conferred by the proviso to the article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Head Security Guard (Driver) in the Directorate General, All India Radio, under the Ministry of Information and Broadcasting, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Directorate General, All India Radio, Head Security Guard (Driver), Recruitment Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(2) They shall csome into force on the date of their pub-
The number of post, its classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc. :— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification :—No person —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to the person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	No. of Posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post.
1	2	3	4	5
Head Security Guard (Driver)	1* (1988) *Suject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 950-20-1150-EB-25-1400	Not applicable.

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules 1972.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and eductional qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any.
6	7	8	9	10
No	Not applicable.	Not appliable.	Not applicable.	Two year for promotees.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion deputation transfer, grades from which promotion - deputation trnsfer to be made.	If a DPC exists, what is its composition.	Circumstance in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
11	12	13	14
Promotion failing which by transfer on deputation.	(1) Promotion : From amongst Security Guards having 5 years' regular service in the grade and possessing the following qualifications : (i) Possession of a valid driving licence. (ii) Knowledge of motor mechanism. (iii) Experience of driving a motor car. (2) Transfr on Deputation : From amongst drivers of Central or State Police Organisations having the qualifications prescribed under (1) above. (Priod of deputation including period of deputation in another excadre posts held immediately preceding the appointment in the same or some other organisation department shall ordinarily not exceed three years).	DPC (for promotion selection) 1. Deputy Director General Security)—Chairman 2. Deputy Director of Administration (Head quarters), Directorate General, All India Radio—Member. 3. An outside expert of appropriate status) in the field from another Government Department—Member.	Not applicable.

[No. A-12018/2/86-SV/AIR/B/(A)]

KASHMIRI LAL, Under Secy.